 ISSN : 2348-0033 (Online) | ISSN : 2249-4944 (Print)

f'k{kd&f'k{kk dk xq.koÙkkiw.kZ cukus dh pqukSrh

[1]Mk- fgeka'kq vxzoky] [2]Mk0 ,0d0 pkSgku
[1,2]रूड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड), भारत

Abstract

अध्यापक शिक्षा के सामने आज के दौर में वैश्विक परिदृश्य में चुनौतियाँ और बढ़ गई है। व्यापक दृष्टिकोण मूल्य आधारित उत्तरदायित्व वैश्वीकरण की विषमताओं से निपटने वाले सामर्थ्य रखने वाले दूरदर्शी, अध्यापक तैयार करना, सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण की अवधारणा के विकसित होने के साथ निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों, इण्टर कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों की संख्या भी देश में तेजी से बढ़ी है। शिक्षा के निजीकरण ने जहाँ एक ओर ज्ञान की सुलभता के अवसरों में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधियों, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के अनुप्रयोगों, कक्षाओं के स्वरूप बदलावों, सूचनाओं की आर्थिक असमानता आदि का विभेद आज उतनी शिद्दत के साथ दिखाई नहीं पड़ता है, जितना कि देश की आजादी के तीस चालीस वर्ष बाद हुआ करता था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय आंकलन एवं प्रत्यानयन परिषद के मध्य संयुक्त रणनीति के स्वीकार किये जाने तथा अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं द्वारा इनकी परिधि में मूल्यांकन कराये जाने की व्यवस्था पर पहल किये जाने के बावजूद, गुणवत्ता का मुद्दा विकट एवं दुरूह बनता जा रहा है। यह चुनौती तो है ही, इससे शिक्षक–शिक्षा में विविध अवसरों को भी बाधित किया जा रहा है।

Keywords

वैश्वीकरण, निजीकरण, शिक्षण–प्रशिक्षण, प्रविधियाँ, आर्थिक असमानता, राष्ट्रीय आंकलन एवं प्रत्यानयन परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्।

iLrkouk

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस वाक्य से सहमत नहीं हो पाना असंभव है कि कोई भी समाज या इसके लोग अपने अध्यापकों के स्तर से ऊँचे नहीं जा सकते है। इसी प्रकार कोठारी शिक्षा आयोग का उल्लेखनीय विचार रहा है कि ''भारत की भावी पीढ़ी का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इक्कीसवीं सदी की भारत में यह पीढ़ी कुशल एवं सम्भावनाओं से परिपूर्ण मानव संसाधन का अभिन्न अंग होगी। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कक्षाओं में निर्मित होने वाली भावी एवं उसे कौशलों से युक्त मानव संसाधन बनाने में कुशल शिक्षकों का अहम योगदान होगा। कुशल शिक्षकों के निर्माण हेतु सुसंगठित, सुनियोजित एवं उपयुक्त शिक्षक शिक्षा का होना आज की अवधारणा है। ऐसे शिक्षक का गठन आज राज्य एवं राष्ट्र की सर्वप्रमुख चुनौती है। आज के उभरते हुए भारत में आने वाले सामाजिक परिवर्तन तथा वैश्वीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देना जगजाहिर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आदान–प्रदान पूर्णतः शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षक–प्रशिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता, शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं के उत्साह प्रतिबद्धता एवं संरचनात्मक ढाँचा, अकादमिक एवं शोध आधारित नवाचारी विचार व विकास तथा सृजनापूर्ण अध्यापन तथा पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इन लक्ष्यों की पूर्ति करने वाली शिक्षक शिक्षा का क्रियान्वयन भी आज बड़ी चुनौती है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर गठित डाइट तथा माध्यमिक स्तर पर गठित शिक्षा महाविद्यालय एवं उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों के अस्तित्व में आ जाने के बाद भी सेवापूर्व प्रशिक्षण में अपेक्षित गुणवत्ता का आयाम नहीं जुड़ सका है।

आज प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट से क्षुब्ध होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह आदेश आया है कि सरकारी तनख्वाह लेने वाले सभी कर्मचारी व जनप्रतिनिधि और न्यायपालिका के सदस्य अब अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ायेंगे तब सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा लगभग यही स्थिति माध्यमिक शिक्षा व विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में भी रखने को मिलती है। अतः आज के समय में न केवल सेवापूर्व प्रशिक्षण आवश्यक है। अपितु हर तीन व पाँच वर्ष में इनके कामकाज को और बेहतर बनाने के उपाय भी अपनाने की आवश्यकता है।

आज अध्यापक शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक प्रशिक्षकों एवं कार्यक्रमों को गुणवत्ता के मानकों कुशलता, प्रतिबद्धता उपलब्धि एवं उत्कृष्टता की कसौटी पर कठोरतापूर्वक परखा जाए तो लगभग 5 प्रतिशत संस्थायें भी खरी नही उतर सकेगी। शंका है कि निकट भविष्य में इस स्थिति में सुधार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे है। आज देश के अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 70 प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थायें निजी है। इनमें से अनेकों संस्थायें सुविधा शुल्क की सीढ़ी चढ़कर स्थापित हुई है। ये संस्थायें अब उसकी वसूली प्रशिक्षुओं से करते है और केवल वहीं छात्र इन संस्थानों में पढ़ पाते है जो इनकी सभी अपेक्षाओं की शर्त पूरी करते है। परिणामस्वरूप प्रशिक्षण का स्तर गिरता है व प्रभावशाली व कर्मठ शिक्षक नहीं मिल पाते। शिक्षकों की भूमिका की बात करें, शिक्षक ज्ञान के विकास और प्रसार के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने का सामाजिक अभिकर्ता होता है। समस्या यह है कि शिक्षक अपनी सामूहिक जिम्मेदारी अथवा कर्तव्यपरायणता से विमुख हो रहे है। इसका बड़ा कारण यह है कि अपने निर्धारित पेशे में अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने पर भी उन्हें यह विश्वास नहीं रहता कि इसका हक उनको मिलेगा। आज जिस तरह का माहौल है उसमें कोई भी अध्यापक केवल अध्यापन–अध्ययन और अनुसंधान में दक्षता के आधार पर पदोन्नति के प्रति आश्वस्त नहीं रह पाता और पाया यह जाता है कि नाकाबिल और अयोग्य व्यक्ति केवल जी हुजूरी और चाटुकारिता आदि के दम पर पदोन्नति और महत्वपूर्ण पदों को हासिल कर लेता है। इससे उच्च शिक्षा केन्द्रों में निराशा का माहौल उत्पन्न होता है। शिक्षण केन्द्रों पर मौजूद जड़ता और रचना विरोधी माहौल भी इस निराशा के लिए उतना ही जिम्मेदार है। आज शिक्षकों को केवल ऊँची तनख्वाह पाने वाले अनुपयोगी वर्ग के रूप देखा जाने लगा है। हमें इस स्थिति को बदलना होगा और इस अवांछित जड़ता को तोड़ना होगा तभी हम स्वस्थ शैक्षिक माहौल का निर्माण कर सकेंगे। अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य 1998 में यह स्वीकार किया गया है कि स्वदेशी संकल्पना के परिपालन हेतु अध्यापन शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हो तथा सामाजिक परिवर्तनों व निरन्तरता के अनुरूप ही संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त कराये एवं नयी सामजिक व्यवस्था के अभ्युदय में सहायक हों, व्यवहारिक रूप से दक्ष, समर्पित शिक्षक तैयार करें। यह सर्वाधिक मुखर चुनौती है। हमारी शिक्षा से जुड़ी समस्याएं जितनी विराट हैं, उनका पुख्ता समाधान सरकार, शिक्षक और समाज के संयुक्त एवं दीर्घकालीन प्रयासों से ही संभव है। आज जो चुनौतियां भारतीय शिक्षा में दिखाई दे रही हैं, उनके बीज 60 और 70 के दशकोंमें बोए गए थे। जाहिर है कि भारतीय समाज और सरकार को शिक्षकों की भूमिका का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों में भी आत्मालोचना की जरूरत है। उन्हें नई शिक्षण पद्धतियों, सूचना प्रौद्योगिकी और 21वीं सदी के शिक्षाशास्त्र से सुसज्जित करने की जरूरत है।

v/;kid f'k{kk esa lq/kkj gsrq ljdkjh ;kstuk,a ,oa dk;Øeksa dk fooj.k%

1. केन्द्र द्वारा आयोजित अध्यापक शिक्षा योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 1987–88 में शुरू की गई थी।

(क)- जहाँ संभव हो मौजूदा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षण संसाधनों (ईटीईआई) का स्तर बढ़ाये और जहाँ आवश्यक हो नए डीआईईटी की संस्थापना करें अथवा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डीआईटीईटी) की स्थापना हो।

(ख)- चयनित द्वितीयक अध्यापक शिक्षण संस्थानों (एसटीईआई) में स्तर बढ़ानाः 1. अध्यापक शिक्षक कालेज (सीटीई) और 2. शिक्षा में उच्च अध्ययन के संस्थान हो।

(ग)- राज्य शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को मजबूती प्रदान करना।

2. यह योजना 2003 में प्रस्तुत की गई और जनवरी 2004 में संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए गए। अध्यापक शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(क)- डीआईईटी/सीटीई/आईएएसई/एससीईआरटी की उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई थी लेकिन समय से पूरी नहीं हो सकी।

(ख)- नौवी पंचवर्षीय के अन्तर्गत डीआईईटी/सीटीई/आईएएसई को स्वीकृति प्रदान करना और एससीईआरटी को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें संचालन योग्य बनाना।

(ग)- आवश्यकतानुसार डीआईईटी/सीटीई/आईएएसई/एससीईआरटी की नई परियोजनाओं को मंजूरी देना और उन्हें लागू करना।

(घ)- डीआईईटी के सेवाकालीन और सेवा पूर्ण प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे अपने अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में केंद्रीय भूमिका निभा सकें और अपेक्षित स्तर की उपलब्धि हासिल कर सकें।

3. डीआईईटी / जिला संसाधन केन्द्र (डीआरसी) स्थापित करने के मानदंड :

(क)- कम से कम 2500 अध्यापकों वाले प्रत्येक जिले के लिए एमडीआईईटी की स्थापना की जाये यदि जिले में पहले से सरकारी डीआईईटी का संस्थान हो तो इसका ग्रेड बढ़ाया जाएगा। यदि कोई डीआईईटी मौजूदा नही ंतो जिले में नया डीआईईटी स्थापित किया जाएगा।

(ख)- 2500 अध्यापकों वाले जिलों में जिला संसाधन केंद्रों की स्थापना यदि जिले में सरकारी ईटीईआई मौजूद है तो इसे डीआरसी स्तर तक बढ़ाया जाएगा अन्यथा नया डीआरसी स्थापित किया जाएगा। ऐसे मामले में ये केंद्र पूर्व–सेवा पाठयक्रम संचालित नहीं करेगा।

(ग)- यदि किसी जिले में 2500 से अधिक अध्यापक हैं तो राज्य सरकार डीआईईटी की अपेक्षा डीआरसी स्थापित करने को प्राथमिकता देगी।

4. अध्यापक षिक्षा के लिए 11वीं योजना के प्रस्तावों के लिए एनसीईआरटी के निदेशक की अध्यक्षता में एक उप–समूह गठित किया गया था। उप–समूह की सिफारिषों के आधार पर, योजना के वर्तमान प्रावधानों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त 11वीं योजना के दौरान कुछ नई योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(क) अनु0जा0 / ज0जा0 तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षण क्षमता बढ़ाना।

(ख) सेवारत प्राथमिक और द्वितीयक अध्यापकों का व्यावसायिक विकास करना।

(अ) अप्रशिक्षित तथा सहा0 अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ब) अध्यापनरत अध्यापकों को प्रशिक्षण और विशय की जानकारी को अद्यतन करना।

(ब) सैद्धान्तिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देना।

(स) सूक्ष्म शिक्षण करना तथा समूह शिक्षण पर बल देना।

(ग) अध्यापक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

(अ) रिफ्रेशर कार्यक्रम

(ब) फेलोशिप कार्यक्रम

(घ) एनजीओ को सहयोग

(ङ) उत्तरपूर्व के लिए विशेष कार्यक्रम निर्माण करना

(च) अध्यापक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना

(छ) उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत प्राथमिक अध्यापक शिक्षा पर बल देना

fu%’kYd vkj vfuok; cky f’k{kk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 e f’k{kd f’k{kk dk fufgrkFk

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियमए 2009 वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रणाली और शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का निहितार्थ है। अधि ानियम में अन्य बातों के साथ.साथ ये प्रावधान हैं कि :–

- केन्द्र सरकार अध्यापकों के प्रशिक्षण के मानकों का विकास और उनका प्रवर्तन करेगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अथवा अकादमिक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियोजित किए जाने के पात्र होंगे।
- ऐसी निर्धारित योग्यताएं नहीं रखने वाले मौजूदा अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि में उक्त योग्यता अर्जित करना अपेक्षित होगा।
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूची में निहित छात्र–शिक्षक अनुपात प्रत्येक स्कूल में बनाए रखा जाए।
- सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति संस्वीकृत क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

f'k{kd f'k{kk dk jk"Vh; ikB;p;k <kpk

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया है, जिसे मार्च 2009 में परिचालित किया गया था। यह ढांचा एन सी एफ 2005 की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित सिद्धांतों ने शिक्षक शिक्षा पर परिवर्तित ढांचा अनिवार्य कर दिया है, जो एन सी एफ, 2005 में संस्तुत स्कूल पाठ्यचर्या के परिवर्तित दर्शन के अनुकूल हो। शिक्षक शिक्षा का दर्शन स्पष्ट करते हुए इस ढांचे में नए दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण आयाम इस प्रकार है।

- परावर्ती प्रचलन, शिक्षक शिक्षा को केन्द्रीय लक्ष्य बनाना।
- छात्र–अध्यापकों को सर्व–शिक्षा परावर्तन नए विचारों के आत्म–सातकरण और अभिव्यक्ति का अवसर देना।
- सभी प्रशिक्षुओं में सर्व निर्देशित शिक्षा की क्षमता और सोचने की योग्यता का विकास और समूहों में कार्य करने को महत्वपूर्ण स्थान देना।
- प्रशिक्षुओं को बच्चों के पर्यवेक्षण एवं उन्हें संस्थाओं में प्रवेश बच्चों से संवाद करने और उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान करना। इसी ढांचे ने विशिष्ट उद्देश्यों, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक शिक्षा के अनुकूल विस्तृत अध्ययन क्षेत्र और पाठयचर्या अंतरण और विभिन्न प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन कार्यनीति उजागर की हैं। यह मसौदा आधारभूत मुद्दों को भी रेखांकित करता है जो इन पाठ्यक्रमों के सभी कार्यक्रमों का निरूपण निदेशित करेगा। इस ढांचे ने सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दृष्टिकोण और रीति विधान पर अनेक सिफारिशें भी की हैं और इसकी कार्यान्वयन कार्यनीति भी रेखांकित की गई है। एनसीएफटीई के स्वाभाविक परिणाम के रूप में एनसीटीई ने विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठयक्रमों का आदर्श पाठयक्रम भी तैयार किया है।
- गुणवत्ता की दिशा में सभी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा – 2015 की समीक्षा रिपोर्ट

भारत में शिक्षक शिक्षा नीति को समय के हिसाब से निरूपित किया गया है और यह शिक्षा समितियों / उपयोगों की विभिन्न रिपोर्टो में निहित सिफारिशों पर आधारित है, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं, कोठारी आयोग (1966) चट्टोपाध्याय समिति (1985) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई 1986 / 92) आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यशपाल समिति (1998) एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ 2005)। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ का देश में शिक्षक शिक्षा के लिये महत्वपूर्ण निहितार्थ है। देश के संघीय ढांचे में हालांकि शिक्षक शिक्षा पर विस्तृत नीतिगत और विधिक ढांचा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, फिर भी विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) जो केन्द्र सरकार का सांविधिक निकाय है, देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का जिम्मेदार है। एनसीटीई विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानक एवं मानदंड शिक्षक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्र अध्यापकों के प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं घटक तथा अवधि एवं न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है। यह ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छुक संस्थाओं (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्तपोषित) को मान्यता भी प्रदान करता है और उनके मानदंड और गुणवत्ता विनियमित करने और उन पर निगरानी के निमित्त व्यवस्था है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए देश में सरकारी स्वामित्व वाली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (टीटीआई) का बड़ा नेटवर्क है, जो स्कूल अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन टीटीआई का फैलाव रैखिक एवं क्षैतिज दोनों है। राष्ट्रीय स्तर पर छह क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं (आईए) के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मॉड्यलों का समूह तैयार करता है और अध्यापकों तथा शिक्षक शिक्षकाओं के प्रशिक्षण के विशिष्ट कार्यक्रम भी शुरू करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालयों (एनयूईपीए) द्वारा संस्थानिक सहायता भी दी जाती है। एनसीईआरटी और एनयूईपीए दोनों राष्ट्रीय स्तर के स्वात्तशासी निकाय है। राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) शिक्षक प्रशिक्षण के मॉडयूल तैयार करती है और शिक्षक शिक्षकों और स्कूल शिक्षकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संचालन करती है।

शिक्षा में गुणवत्ता मूलरूप से पाठ्यचर्या और अधिगम उद्देश्यों, अधिगम सामग्री, शिक्षाशास्त्र प्रक्रियाओं, कक्षा–कक्ष मूल्यांकन संरचना, अध्ययन कक्ष में शिक्षक सहायता और स्कूल नेतृत्व एवं प्रबन्धन विकास पर निर्भर है। समाज में पैदा होने वाले मुद्दों और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इस बात का संज्ञान लेने के लिए नियमित अन्तराल पर पाठ्यक्रम के समीक्षा की आवश्यकता है। राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न अधिगम पैकेजों को विकसित करने की जरूरत है जिसमें शिक्षक की सहायता करने और बढ़े हुए विकल्प प्रदान करने के लिए कलस्टर और स्कूल–स्तर पर संसाधनों के पर्याप्त प्रावधान हों। बारहवीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तराल अधिगम वृद्धि कार्यक्रम (एलईपी) जारी है। प्रत्येक वर्श में राज्यों को उन शैक्षणिक लक्ष्यों, जिनको लक्षित किया जा रहा है और उन कार्य–नीतियों (तरीकों, सामग्री, मॉडल और परिमापों) को स्पष्ट करना होता है जो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं।

Ldy vkj ik< f'k{kk e lpuk vkj lpkj ik|kfxdh i)fr;k dk lo)u %

आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण अंतर लाने की क्षमता रखती है। अधिकांश माध्यमिक स्कूलों में सीमित कम्प्यूटर सुविधाएं है। यह कभी छात्रों को ज्ञान क्षेत्र में आईसीटी सम्बन्धित कौशल अर्जित करने से रोकती है और अध्यापकों की योग्यता को अपनी विषय–वस्तु की जानकारी को उन्नत करने और छात्रों की आवश्यक अधिगम सामग्री के प्रति पहुँच की योग्यता को सीमित करती है।

स्कूल शिक्षा में आईसीटी की राष्ट्रीय नीति की अवधारणा और व्यवस्था स्कूल पद्धति में आईसीटी सहायता की एक सम्पूर्ण अवसरंचना का विकास करना

है। स्कूल शिक्षा पर मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) स्कूल शिक्षा क्षेत्र में व्यापक प्रौद्योगिकी समर्पित स्कूल शिक्षा देने में सक्षम होगा इसमें स्कूलों के सभी प्रमुखों, अध्यापकों, गैर–शिक्षण स्टाफ और छात्रों के लिए आईसीटी कौशल के विकास, सभी विषयों विशेषकर विज्ञान और गणित के अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्ता–निश्चित डिजिटल विषय–वस्तु भंडार का निर्माण, प्रशिक्षण एवं अध्यापकों को ई–कंटेट तैयार करने और उसका उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा–कक्षों में आईसीटी का प्रावधान का वहनीय सुविधाएं और रिचार्ज की आने योग्य बैटरी के साथ एक प्रोजेक्टर और आईसीटी एकीकृत शिक्षा लागू करना और शिक्षा पोर्टल्स की स्थापना सहित संस्थानिक और पद्धति स्तर पर आईसीटी–एकीकृत परीक्षा और ई–गवनेंस के प्रावधान को बनाना आदि होगा। जैसाकि आईसीटी स्कूलों में विभिन्न तरीकों से लागू की जा रही हैं, हमें सभी प्रयासों में गुणवत्ता और क्षमता प्राप्ति के लिए इस प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग और लाभ उठाना होगा।

इन समस्याओं के आधार पर शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर निम्न प्रश्न उठते है :–

1 कुछ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संगणक शिक्षक नहीं हैं। वही दुर्गम राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति नहीं है।
2 अधिकांश राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संगणक शिक्षा पाठ्यक्रम में लागू हैं। परन्तु शिक्षक इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।
3 अधिकांश राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संगणक खराब पड़े हैं व इनकी देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

इन समस्याओं के आधार पर शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर निम्न प्रश्न उठते हैं :–

- स्कूलों द्वारा आईसीटी एकीकरण कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली आम समस्याएं कौन सी हैं?
- क्या आम मुद्दों के निपटाने के लिए व्यवर्हाय समाधान हैं?
- इस सम्बन्ध में राज्यों के अलग–अलग अनुभव क्या हैं?
- वे कौन–कौन से तरीके हैं जिनसे प्रौद्योगिकी का स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा दोनों में लाभ उठाया जा सकता है और सर्वोत्तम प्रक्रिया, यदि कोई हो, तो किस प्रकार साझा किया जा सकता है।
- हम यह कैसे पता लगाएं कि स्कूलों में आईसीटी कार्यरत है, विशेषकर चुनौतियों वाले राज्य अर्थात् विशेषकर विद्युत आपूर्ति की कमी वाले राज्यों में आईसीटी वर्तमान स्थिति क्या है?

x|.koÙkk;Dr f'k{kdk dk fy, f'k{kd&f'k{kk dk u;k :Ik nuk %&

देश में शिक्षकों की गुणवत्ता भारी चिंता का विषय रहा है तथा गुणवत्ता सुधारने के लिए यह एक बुनियादी पूर्वापेशा है। शिक्षकों की सक्षमता और उन्हें प्रेरित करना गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा की कमियों का समाधान करने, गणित, विज्ञान और भाषाओं में माध्यमिक, स्कूल शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करने; व्यवसाय के रूप में शिक्षण स्थिति को बढ़ाने, शिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रेरणा और उनके उत्तरदायित्व में सुधार करने तथा शिक्षक–शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता और शिक्षकों में भी सुधार करने के लिए कई प्रयास किये जा रही हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर दोनों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के मामले, अप्रशिक्षत शिक्षकों की समस्याये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिकता की कमी, प्रशिक्षण और वास्तविक कक्षा–कक्ष व्यवहार का बेमेल होना, शिक्षक अनुपस्थिति और शिक्षक उत्तरदायित्व तथा शिक्षकों को गैर–शिक्षण कार्यकलापों में लगाना, इन सभी का समाधान करने की आवश्यकता है। गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की भर्ती के उद्देश्य से सीबीएसई ने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) का आरम्भ किया है। राज्य सरकारों नेटीईटी आरम्भ किया है।

इन सबके बावजूद प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का स्तर लगाकर गिर रहा है। अंतः निम्न प्रश्न उठने स्वाभाविक है।

- प्राथमिक यांत्रिक स्कूलों में शिक्षकों की विद्यमान रिक्तियों का भरने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता हैं?
- शिक्षण अधिगम गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मौजूदा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्यों विफल हुए हैं?
- स्कूल क्षेत्र में शिक्षक–शिक्षा के मामलों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या व्यवसायिक हल है?
- क्या शिक्षकों में उत्तरदायित्व संस्कृति का निर्माण करने के लिए शिक्षण निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता है?
- क्या शिक्षकों की पदोन्नति उनके निष्पादन के अनुसार होनी चाहिए?
- क्या सभी शिक्षण/स्थानान्तर पदों के लिए एक स्वतः कम्प्यूटरीकृत प्रणाली अनिवार्य बनाई जाए ताकि ये युक्तिगत बनी रहे?
- सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं?

v/;kid f'k{kk d dN rF;%

चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2007–08 के दौरान अध्यापक शिक्षा योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें से 50 करोड़ रुपये उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। पिछले 50 वर्षों में भारतीय समाज ज्ञान, विद्या, समानता, चरित्र निर्माण, भाईचारा, सद्भाव और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा लगातार खोता गया है। इसके विपरीत धनलिप्सा, स्वार्थपरता, चालाकी, अवसरवादिता जैसे नकारात्मक मूल्य हमारे लोकतांत्रिक समाज पर हावी होते चले गए। इस दौर में शिक्षकों की पेशागत प्रतिबद्धताओं और योग्यताओं में भी लगातार क्षरण देखा गया। आजादी के बाद के प्रारंभिक दशकों में शिक्षकों की कार्यदशाएं और वेतन–भत्ते अन्य पेशों की तुलना में कम थे। पूरे देश में प्राथमिक, स्कूली एवं कॉलेज–यूनिवर्सिटी शिक्षक यूनियनों ने शिक्षकों को लामबंद करके लगातार आंदोलन किए। शिक्षकों को विधायिकाओं और संसद के लिए भी नामित किया गया। उनकी आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार आया, वहीं दूसरी ओर उन्हें शिक्षा के उन्नयन से लगातार विमुख होते देखा गया।

पिछले तीन दशकों में चौथे वेतन आयोग से लेकर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों की तरह शिक्षकों के वेतनमानों में लगातार वृद्धि होती गई। 1977 में डिग्री कॉलेज के लेक्चरर को करीब एक हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था, जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लगभग 35,000 रुपये तक पहुंच गया है, यानी 37 वर्षों में 35 गुना। भारतीय समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा में गिरावट का कारण शिक्षकों के आर्थिक स्तर में सुधार के साथ–साथ उनकी पेशेगत प्रतिबद्धता में कमी होना भी है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी जगह शिक्षकों का विद्यार्थियों से अलगाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी स्कूलों, राज्य विश्वविद्यालयों और अनुदानित डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के कार्य दिवस कम होते जा रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में तो डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों में 100 दिन भी पढ़ाई नहीं होती है।

यह सच है कि सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। शिक्षकों के एक बड़े वर्ग की दिलचस्पी पढ़ाने–लिखाने में रहती है। हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तादाद अभी हाल में 1.7 करोड़ बताई गई है। इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जरूरी समुचित संसाधनों की कमी देखी जाती है। कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स आदि की सुविधाएं पर्याप्त और अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं। देश के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर आप जाएं, तो युवा विद्यार्थियों का अक्सर हुजूम दिखाई देगा। आम तौर पर इसका कारण कक्षाओं का न लगना होता है। लेकिन इस भीड़–भाड़ का एक मुख्य कारण युवा आबादी में हो रही बेतहाशा वृद्धि के साथ–साथ उच्च शिक्षा का समुचित विस्तार न होना भी है।

आजकल जहाँ एक तरफ दो वर्षीय बी0एड0 कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री की चर्चा हो रही है। वही दूसरी ओर अधिकांश निजी प्रशिक्षण संस्थान उन उपायों की तलाश में लगे है कि कैसे प्रशिक्षार्थी दो वर्ष का पाठ्यक्रम उसी ढंग से पूरा करें जैसे एक वर्षीय करता आ रहा था अनेक राज्य अपने सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित नियुक्तियां नहीं करते है वहां संविदा पर, सेवानिवृत या डेपुटेशन पर शिक्षक प्रशिक्षक आते हैं व प्रशिक्षण की खानापूर्ति करके चले जाते है। इन शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है। अधिकांश सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के नाम पर खानापूर्ति होती है। शिक्षकों में अध्ययन के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने के स्थान पर केवल संस्थान में उपस्थिति पर बल दिया जाता हैं। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में तो प्रशिक्षण हेतू (पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है)।

केवल मौखिक प्रवचन आशीष वचन और कुछ पुराने माडयूलों से यदा–कदा पढ़ाकर शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। माध्यमिक स्तर पर होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण में जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में जाते है। अधिकांश असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर इस प्रशिक्षण में रूचि नहीं लेते है। और यह गुणवत्ता तब और भी गिर जाती होगी जब यह प्रशिक्षण भी केवल राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों का होता है।

fu"d"k

स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेकर शिक्षक–शिक्षा में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को बहुआयामी, संवर्दि्धत और विशिष्ट बनाया जा सकता है। राज्य शासन को इनके सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यों का मानकों के अनुरूप मूल्यांकन करना व वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक

प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता एवं नये पाठयक्रमों के संचालन की अनुमति दी जाती है। वह अपने मानकों के परिपालन को भी सुनिश्चित करते है राज्य में संचालित हो रही शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थायें अपेक्षानुकूल कार्य नहीं कर रही हैं। शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग विश्वविद्यालयों एवं राज्य शासन को करना चाहिए। राज्य एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, उन्नत शिक्षा संस्थान, शिक्षा महाविद्यालय, डायट्स आदि सभी सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षक संस्थानों का इलेक्ट्रानिक नेटवर्किंग अत्यंत उपयोगी कदम होगा। यदि पेडागागी विश्लेषण, उदीयमान भारतीय समाज दक्षता आधारित शिक्षा, सीखने के उन्नत सिद्धांत जैसे विषयों पर शिक्षकों एवं शिक्षक–प्रशिक्षकों के लिए अध्यापन सामग्री विकसित की जाये तो यह शिक्षक–शिक्षा के विकास में अत्यंत प्रभावकारी कदम हो सकता हैं। पारदर्शिता तथा विश्वविद्यालयी स्वायता के अनुसार हर विश्वविद्यालय को अपना बी0एड0, एम0एड0 पाठ्यक्रम बनाना चाहिए संविदा व डेपुटेशन, सेवानिवृति शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति बंद करें व स्थाई नियुक्ति पर बल दें प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सामग्री हों व संस्थान में उपस्थिति के साथ ही शिक्षक प्रशिक्षुओं व शिक्षकों की जवाबदेही तय हो प्रत्येक प्रशिक्षण के उपरान्त राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन हो सेवारत शिक्षकों के लिए प्रत्येक तीन वर्षो के उपरान्त प्रशिक्षण एवं परीक्षा का आयोजन हो।

आज 22 करोड़ बच्चे स्कूलों में है और प्रति अध्यापक 30 बच्चों का अनुपात माना जाये तो लगभग 70 लाख शिक्षक चाहिए। आज के सूचना प्रौद्योगिकी व नवीन तकनीकों के शिक्षक शिक्षा में अनुप्रयोग व प्रशिक्षण में पूरी ईमानदारी के माध्यम से प्रभावशाली शिक्षक तैयार हो सकेंगे तभी शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ सकेगी।

l Unhk l ph

1. इण्डिया अदावल एसबी0 एट एल (1984) ऐनेलटिकल स्टडी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया इलाहाबाद अमिताभ प्रकाशन।
2. अग्रवाल जे0सी0 (1982) डवलपमैण्ट एण्ड पलानिंग ऑफ मॉडन एजुकेशन विद स्पेशल रैफरेंस टू इण्डिया नई दिल्ली विकास पब्लिकेशन हाउस।
3. आहूजा आर0एल0 (1970) भारत में शिक्षको की समस्याऐ इण्डियन पब्लिकेशन गवरनमैण्ट ऑफ इण्डिया 1984 अंबाला छावनी।
4. काफ्रेंस प्रोसीडिंग ऑफ द वर्ड असैम्बली ऑफ द इण्टरनेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन फॉर टिचिंग कनाड़ा 22–26 जुलाई।
5. भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1967) जिला शिक्षा एवं प्रशिखण संस्थानों की स्थापना मैमो नई दिल्ली।
7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1987) प्रोग्राम पर इंप्रूवमेंट ऑफ सैकेण्डरी टीचर एजुकेशन इंसटिटूसंस मैमो नई दिल्ली।
8. सबबरवाल एन0 (1979) इन्नोवेटिव प्रेक्टिस इन एलीमैंट्री टीचर एजुकेशन इंसटिटूयशंस इन इण्डिया बोलू0–1 एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली।
9. शंकर पू0 (1984) भारतीय शिक्षकों की शिक्षा स्टर्लिन पब्लिकेशन नई दिल्ली।
10. शुक्ला एस0 एवं सिंह ए0 (1986) भारत में अध्यापक शिक्षा एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली।
11. सिंह आर0पी0 (1980) स्टडीज इन टीचर एजुकेशन एन ओवरव्यूह बाहरी पब्लिकेशंनस नई दिल्ली।
12. श्रीवास्तव बी0के0 (1984) थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ टीचर एजुकेशन इन इण्डिया, इलाहाबाद।

हिमांशु अग्रवाल ने बी0एस0सी0 की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से 1998 में प्राप्त की।

एम0एस0सी0 की उपाधि वनस्पति विज्ञान विषय से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से 2000 में प्राप्त की।

बी0एड0 की उपाधि बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से 2003 में प्राप्त की।

एम0एड0 की उपाधि बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी से 2006 में प्राप्त की।

एम0ए0 की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से 2007 में प्राप्त की।

पी0एच0डी0 कची उपाधि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से ''किशोरावस्था के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों के सीखने के तरीके एवं पारिवारिक वातावरण का उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा पर पड़ने वाले प्रभाव का समालोचनात्मक अध्ययन'' उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत 2013 में प्राप्त की।

प्रार्थी, पूर्व में जीव विज्ञान विषय में प्रवक्ता के पद पर राजकीय इंण्टर कालेज में कार्यरत था।

प्रार्थी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालेकी युसुफपुर में सहायक अध्यापक के पद कार्यरत है।

Learning Style, Education System , Current trends, Psychlogy पर अध्ययन करना उसका प्रिय विषय है।